21.5.211 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादी
के विरुद्ध वाद तामील प्राप्त हो गये है, प्रतिवादी
स्वयं समाचार प्रकाशित पारी है अब इन्तजार
की आवश्यकता नहीं है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र
के आधार पर वाद निर्णीत किये जाने
का निवेदन किया गया।

मैंने द्वारा पत्रावली का अवलोकन
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का

.... बनाम ....

मिसल/दावा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं

द्वारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मुकदमा के विपक्षीगण मिल गए। पत्रावली में आधार व राशन कार्ड, कमल जमाबंदी, किसान सम्बन्धी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के आधार पर बहु बारीकी से विचार कर पुष्टि किया जाता है; विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज घो.प.प. किया गया। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)

निर्णय बहजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 79/2024 तारीख दायरा 01.01.2024

उनवान

नेहा कुमारी उर्फ निया कुमारी जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद जिला कोटा। — वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री मनोज वैष्णव (वकील वादीगण) दिनांक :—21.5.2024

श्री सरकार पैरोकार

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं अन्य सहखातेंदारों की कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम अडूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटा कि खाता सं0 89 नया पुराना 79 की कुल 7 किता की 4.30 हैक्टेयर पुश्तैनी आराजीयात स्थित है जिसमें वादीनी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड सम्वत 2073—2076 में दर्ज है। वादीनी के पिता का देहान्त हो जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा गांव में पुछताछ करके वादीनी का नाम नेहा कुमारी के स्थान पर निया कुमारी पुत्री सुरजमल धाकड राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। जब से आज दिन तक वादीनी का बोलता नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

दर्ज चला आ रहा है, जबकि वादीनी का असल नाम नेहा कुमारी पुत्री सुरजमल धाकड है जिसके समर्थन में वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ ही वादीनी के पहचान सम्बन्धि दस्तावेज जैसै आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि पेश किये गये हैं।

वादीनी के द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात की जमाबंदी प्राप्त करने के बाद ज्ञात हुआ कि वादीनी का नाम वर्णित जमाबंदी में नाबालिक दर्ज किया गया है तथा नाम भी अशुद्व दर्ज किया गया है इसलिये वादीनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपना नाम नाबालिक से बालिक दर्ज कराने के साथ साथ अपने नाम को शुद्व कराया जाना भी आवश्यक हो गया है। वादीनी का बोलता नाम निया कुमारी राजस्व जमाबंदी में दर्ज हो जाने के कारण वादीनी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है जिसके लिये वादीनी के द्वारा दावा दायरी से एक माह पुर्व हलका पटवारी से उक्त नाम दुरस्त कर नाबालिक से बालिक दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से घोषणा की डिकी पारित करवाने की कहने पर वादीनी के लिये उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के हक में निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि – माल ग्राम अडूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटा कि खाता सं0 89 नया पुराना 79 की कुल 7 किता की 4.30 हैक्टेयर पुश्तैनी आराजीयात में दर्ज वादीनी के नाम निया कुमार पुत्री सूरजमल को शुद्व कर नेहा कुमार पुत्री सूरजमल किया जावे। साथ ही वादीनी के नाम के आगे अंकित नाबालिग को हटाये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तहसीलदार सांगोद का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में माल ग्राम अडूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटा कि खाता सं0 89 नया पुराना 79 की कुल 7 किता की 4.30 हैक्टेयर आराजीयात की नकल जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजात आदि प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में तनकीयात

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के आधार पर वाद वादीनी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि –

माल ग्राम अड्डूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटा कि खाता सं0 89 नया पुराना 79 की कुल 7 किता की 4.30 हैक्टेयर आराजीयात के रिकार्ड में दर्ज वादीनी का नाम निया कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर शुद्ध कर नेहा कुमारी पुत्री सूरजमल करने तथा नेहा कुमारी को नाबालिग से बालिग दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 21.5.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द प्राथमिक डिक्री मुकदमात इस्तगासे

आर.फार्म 6-7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बइजलारा श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 78 / 2024 तारीख दायरा 01.01.2024

2024

उनवान

फर्द प्राथमिक डिक्री मुकदमात इस्तगासे

नेहा कुमारी उर्फ निया कुमारी जाति धाकड निवासी ग्राम अड़ूसा तहसील सांगोद जिला कोटा। — वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री मनोज वैष्णव (वकील वादीगण) दिनांक :–21.5.2024

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मनोज वैष्णव वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री सरकार पैरोकार प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम अड़ूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तह0 सांगोद जिला कोटा कि खाता सं0 89 नया पुराना 79 की कुल 7 किता की 4.30 हैक्टेयर आराजीयात के रिकार्ड में दर्ज वादीनी का नाम निया कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर शुद्ध कर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...कुमारी पुत्री सूरजमल करने तथा नेहा कुमारी की नाबालिग से बालिग होने तक की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रभाव होने से कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मीजान ... X ...मुबलिग ... X ...बाबत ... X . खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.5.25 की जारी की गई।

मोहर ....

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक				मीजान			
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

रामविलास मीणा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

कार्यालय उप खण्ड अ...